


— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 रचीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव मौका रिपोर्ट दिनांक 18.11.2021 के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिब्री किया जाता है।

1. वादी जयनारायण के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा कसनाउ के खेत खसरा नंबर 317 रकबा 4.4515 हैक्टेयर में से 2.2258 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनकशानुसार व मौजा लुणसरा का खेत खसरा नंबर 148/1430 रकबा 0.9555 हैक्टेयर में से 0.4977 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 पुनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 315/61 रकबा 1.3274 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नंबर 347/704 रकबा 0.6718 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 मोटाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 332 रकबा 1.9020 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 मोहनराम के हक बंट में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 38 रकबा 2.2824 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
5. प्रतिवादी लाखाराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा कसनाउ के खेत खसरा नंबर 317 रकबा 4.4515 हैक्टेयर में से 2.2257 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनकशानुसार व मौजा लुणसरा का खेत खसरा नंबर 148/1430 रकबा 0.9555 हैक्टेयर में से 0.4978 हैक्टेयर पूर्व भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 5 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गयी है।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।


(रवीशंकर) लक्कर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल